पंचायती राज संस्थाओ एवं स्थानीय शहरी निकायों के निर्वाचन से सम्बंधित पूछे जाने वाले कुछ सामान्य प्रश्न के ऊत्तर आम जनता की जानकारी/सुविधा हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गये है । यदि इन प्रश्नों से सम्बंधित कोई शंका हो तो मूल अधिनियमों व् इसके अंतर्गत बनाए गये नियमों का सन्दर्भ देखा जाए । यह प्रश्नोत्तर किसी भी परिस्थिति में न्यायालयों में सन्दर्भ के लिए नहीं हैं।

क्रम संख्या	प्रश्न	पंचायती राज संस्थाओ से सम्बंधित उत्तर	नगर निगम से सम्बंधित उत्तर	नगर पालिकाओं से सम्बंधित उत्तर
1	मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए क्या आयु सीमा निर्धारित है?	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 14 (ड.) अनुसार मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अहर्ता दिनांक को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए I अहर्ता दिनांक आयोग द्वारा समय समय पर घोषित की जाती है।	हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन नियम, 2012 के नियम 16 (ड.) अनुसार मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अहर्ता दिनांक को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए I अहर्ता दिनांक आयोग द्वारा समय समय पर घोषित की जाती है।	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम , 2015 के नियम 17 (क) अनुसार मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अहर्ता दिनांक को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए I अहर्ता दिनांक आयोग द्वारा समय समय पर घोषित की जाती है।
2	मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए आवेदन किस अधिकारी	मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए कोई भी पात्र व्यक्ति पुनरीक्षण प्राधिकारी (Revising Authority) के	मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए कोई भी पात्र व्यक्ति पुनरीक्षण प्राधिकारी (Revising Authority) के	मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए कोई भी पात्र व्यक्ति पुनरीक्षण प्राधिकारी (Revising

	के पास किया जा सकता है तथा कितने दिनों के भीतर आवेदन पर निर्णय किया जाना होता है ?	पास प्रपत्र -2 पर अपना आवेदन दे सकता है तथा आवेदन का निपटारा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर पुनरीक्षण प्राधिकारी (Revising Authority) द्वारा आवेदन का निपटारा किया जाना होता है ।	पास प्रपत्र -4 पर अपना आवेदन दे सकता है तथा आवेदन प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर पुनरीक्षण प्राधिकारी (Revising Authority) द्वारा आवेदन का निपटारा किया जाना होता है ।	Authority) के पास प्रपत्र -4 पर अपना आवेदन दे सकता है तथा आवेदन प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर पुनरीक्षण प्राधिकारी (Revising Authority) द्वारा आवेदन का निपटारा किया जाना होता है ।
3	**मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए कोई फीस देय होती है ?**	प्रारूप मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए कोई भी फीस देय नहीं हैं ।	प्रारूप मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए कोई भी फीस फीस देय नहीं हैं ।	प्रारूप मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए कोई भी फीस फीस देय नहीं हैं ।
4	**मतदाता सूची में दर्ज मतदाता के नाम पर आपति करने के लिए**	प्रारूप मतदाता सूची में मतदाता के नाम पर आपति करने के लिए कोई फीस देय नहीं होती है ।	प्रारूप मतदाता सूची में मतदाता के नाम पर आपति करने के लिए कोई फीस देय नहीं होती है ।	प्रारूप मतदाता सूची में मतदाता के नाम पर आपति करने के लिए कोई फीस देय नहीं होती है ।

	कोई फीस देय होती है ?			
5	**प्रारूप मतदाता सूची में दर्ज किसी मतदाता के नाम पर कौन आपति कर सकता है ?**	प्रारूप मतदाता सूची में दर्ज किसी मतदाता के नाम पर आपति केवल वही मतदाता कर सकता है जिसका नाम पहले से उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज है|	प्रारूप मतदाता सूची में दर्ज किसी मतदाता के नाम पर आपति केवल वही मतदाता कर सकता है जिसका नाम पहले से उस नगर निगम की मतदाता सूची में दर्ज है|	प्रारूप मतदाता सूची में दर्ज किसी मतदाता के नाम पर आपति केवल वही मतदाता ही कर सकता है जिसका नाम पहले से उसी नगरपालिका की मतदाता सूची में दर्ज है ।
6	**प्रारूप मतदाता सूची में सम्बंधित पुनरीक्षण प्राधिकारी (Revising Authority) के आदेशों के विरुद्ध अपील**	सम्बंधित पुनरीक्षण प्राधिकारी (Revising Authority) द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं जिला उपायुक्त के पास दायर की जा सकती है । यह अपील सम्बंधित	सम्बंधित पुनीरीक्षण प्राधिकारी (Revising Authority) द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील सम्बंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उप-मंडलाधिकारी (ना0) के पास दायर की जा सकती है । यह अपील	सम्बंधित पुनीरीक्षण प्राधिकारी (Revising Authority) द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील सम्बंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उप -मंडलाधिकारी (ना0) के पास दायर की जा सकती

	कितने दिनों के भीतर एवं किस अधिकारी के पास दर्ज की जा सकती है तथा इस के लिए कितनी फीस देनी होती है एवं अपील का निपटारा कितने दिनों के भीतर किया जाना होता है ?	पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा आवेदन अस्वीकृत करने के 7 दिनों के भीतर करनी होती है तथा इसके लिए कोई भी शुल्क देय नहीं है । जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा अपील का निपटारा 7 दिनों के भीतर किया जाना होता है ।	सम्बंधित पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा आवेदन अस्वीकृत करने के 3 दिनों के भीतर करनी होती है तथा इसके लिए कोई भी शुल्क देय नहीं है । निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उप – मंडलाधिकारी (ना0) द्वारा अपील का निपटारा 7 दिनों के भीतर किया जाना होता है ।	है । यह अपील सम्बंधित पुनीरीक्षण प्राधिकारी द्वारा आवेदन अस्वीकृत करने के 7 दिनों के भीतर करनी होती है तथा इसके लिए कोई भी शुल्क देय नहीं है । निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उप –मंडलाधिकारी (ना0) द्वारा अपील का निपटारा 7 दिनों के भीतर किया जाना होता है ।
7	**क्या कोई पात्र व्यक्ति अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में नाम दर्ज करवा सकता है ?**	**जी हाँ** हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 24 अनुसार अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने हेतु	**जी हाँ** हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन नियम , 2012 के नियम 26 अनुसार अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने हेतु नामांकन	**जी हाँ** हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम , 2012 के नियम 28 अनुसार अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने हेतु

		नामांकन पत्रों के भरने के लिए निर्धारित अंतिम दिनांक से 9 दिन पूर्व तक कोई भी पात्र मतदाता सम्बंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त को मत बनाने के लिए प्रपत्र -2 पर आवेदन कर सकता है I अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए 2 रूपए का शुल्क देना पड़ता है I	पत्रों के भरने के लिए निर्धारित अंतिम दिनांक से 8 दिन पूर्व तक कोई भी पात्र मतदाता सम्बंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उप -मंडलाधिकारी (ना0) को मत बनाने के लिए प्रपत्र -4 पर आवेदन कर सकता है I अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए 50 रूपए का शुल्क देय है I	नामांकन पत्रों के भरने के लिए निर्धारित अंतिम दिनांक से 8 दिन पूर्व तक कोई भी पात्र मतदाता सम्बंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उप -मंडलाधिकारी (ना0) को मत बनाने के लिए प्रपत्र -4 पर आवेदन कर सकता है I अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए 50 रूपए का शुल्क देय हैI
8	**अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में सम्बंधित अधिकारी के**	सम्बंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं जिला उपायुक्त द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील राज्य	सम्बंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उप-मंडलाधिकारी (ना0) द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील	सम्बंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उप -मंडलाधिकारी (ना0) द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध

	आदेशों के विरुद्ध अपील कितने दिनों के भीतर एवं किस अधिकारी के पास दर्ज की जा सकती है तथा इस के लिए कितनी फीस देनी होती है एवं अपील का निपटारा कितने दिनों के भीतर किया जाना होता है ?	निर्वाचन आयुक्त के पास दायर की जा सकती है । यह अपील सम्बंधित अधिकारी द्वारा आवेदन अस्वीकृत करने के 10 दिनों के भीतर करनी होती है तथा इसके लिए 20 रूपये का शुल्क देना होता है । ऐसी अपील के निपटारे के लिए अधिनियम व् नियम में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है ।	सम्बंधित मण्डलायुक्त के पास दायर की जा सकती है । यह अपील सम्बंधित अधिकारी द्वारा आवेदन अस्वीकृत करने के 10 दिनों के भीतर करनी होती है तथा इसके लिए 50 रूपये का शुल्क देना होता है । ऐसी अपील के निपटारे के लिए अधिनियम व् नियम में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है ।	अपील सम्बंधित मण्डलायुक्त के पास दायर की जा सकती है । यह अपील सम्बंधित अधिकारी द्वारा आवेदन अस्वीकृत करने के 10 दिनों के भीतर करनी होती है तथा इसके लिए 50 रूपये का शुल्क देना होता है । ऐसी अपील के निपटारे के लिए अधिनियम व् नियम में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है ।
9	**क्या कोई व्यक्ति अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची का**	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 26 अनुसार कोई भी व्यक्ति अंतिम रूप	हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन नियम, 2012 के नियम 28 अनुसार कोई भी व्यक्ति अंतिम रूप से प्रकाशित	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम , 2015 के नियम 30 अनुसार कोई भी व्यक्ति अंतिम

	निरिक्षण करने व् प्रति प्राप्त करने के लिए सक्षम है ?	से प्रकाशित मतदाता सूची का निरीक्षण कर सकता है व् 5 रुपए प्रति पृष्ठ की दर से मतदाता सूची को प्राप्त भी कर सकता है ।	मतदाता सूची का निरीक्षण कर सकता है व् 10 रुपए प्रति पृष्ठ की दर से मतदाता सूची को प्राप्त भी कर सकता है ।	रूप से प्रकाशित मतदाता सूची का निरीक्षण कर सकता है व् 10 रुपए प्रति पृष्ठ की दर से मतदाता सूची को खरीद भी सकता है ।
10	**स्थानीय निकायों के निर्वाचन लडने के लिए आयु सीमा क्या है तथा किस दिनांक को यह आयु पूर्ण होनी चाहिए ?**	स्थानीय निकायों के निर्वाचन लडने के लिए आयु सीमा 21 वर्ष है तथा नामांकन पत्रों की छंटनी के दिनांक को प्रत्याशी की यह आयु पूर्ण होनी चाहिए I	स्थानीय निकायों के निर्वाचन लडने के लिए आयु सीमा 21 वर्ष है तथा नामांकन पत्रों की छंटनी के दिनांक को प्रत्याशी की यह आयु पूर्ण होनी चाहिए I	स्थानीय निकायों के निर्वाचन लडने के लिए आयु सीमा 21 वर्ष है तथा नामांकन पत्रों की छंटनी के दिनांक को प्रत्याशी की यह आयु पूर्ण होनी चाहिए I
11	**आयु सीमा के अतिरिक्त चुनाव लड़ने के लिए**	यदि कोई व्यक्ति प्रधान , उप-प्रधान या सदस्य का चुनाव लड़ना चाहता है तो उस	यदि कोई व्यक्ति पार्षद का चुनाव लड़ना चाहता है तो उस नगर निगम की	यदि कोई व्यक्ति सदस्य नगर पंचायत या नगर परिषद् का चुनाव लड़ना

	कौन-2 सी योग्ताएँ है?	ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए I इसी तरह यदि कोई व्यक्ति पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ना चाहता है तो उस व्यक्ति का नाम उस पंचायत समिति से सम्बन्धित किसी भी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची मे होना चाहिए । जिला परिषद् का चुनाव लड़ने के लिए उस जिला से सम्बन्धित की किसी भी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची मे नाम दर्ज होना चाहिए I इसके अतिरिक्त वह हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम , 1994 की	मतदाता सूची में नाम होना चाहिए तथा वह हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 8 में वर्णित अयोग्यताओं में अयोग्य न हो I	चाहता है तो उस नगर पंचायत या नगर पालिका की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए तथा वह हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1994 की धारा 16 में वर्णित अयोग्यताओं में अयोग्य न हो I

		धारा 122 में वर्णित अयोग्यताओं में अयोग्य न हो I		
12	**नामांकन पत्र में प्रस्तावक कौन हो सकता है ?**	प्रस्तावक वही व्यक्ति हो सकता है जिसका नाम उस वार्ड की मतदाता सूची में पंजीकृत हो जंहा से कोई प्रत्याशी पंचायत सदस्य, पंचायत समिति सदस्य या जिला परिषद् सदस्य का चुनाव लड़ना चाहता है । प्रधान एवं उप -प्रधान के चुनाव की स्तिथि में प्रस्तावक ग्राम पंचायत के किसी भी वार्ड का हो सकता है ।	प्रस्तावक वही व्यक्ति हो सकता है जिसका नाम उस वार्ड की मतदाता सूची में पंजीकृत हो जंहा से कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहता है ।	प्रस्तावक वही व्यक्ति हो सकता है जिसका नाम उस वार्ड की मतदाता सूची में पंजीकृत हो जंहा से कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहता है ।
13	**क्या प्रत्याशी का नाम किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित किया जाना**	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ

	अनिवार्य है ?			
14	**यदि किसी आरक्षित पद के लिए चुनाव लड़ा जाना है तो क्या उस वर्ग की जाति का प्रणाम पत्र होना अनिवार्य है ?**	प्रत्याशी द्वारा जाति से सम्बंधित की गयी घोषणा ही पर्याप्त होती है तथापि किसी व्यक्ति द्वारा आक्षेप किए जाने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति का प्रणाम पत्र दिखाना अनिवार्य होता है I	प्रत्याशी द्वारा जाति से सम्बंधित घोषणा की जानी अनिवार्य होती है तथा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति का प्रणाम पत्र भी नामांकन पत्र के साथ सलंग्न करना अनिवार्य होता है I	प्रत्याशी द्वारा जाति से सम्बंधित घोषणा की जानी अनिवार्य होती है तथा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति का प्रणाम पत्र भी नामांकन पत्र के साथ सलंग्न करना अनिवार्य होता है I
15	**अदेय प्रणाम पत्र (No Due Certificate) कैसे प्राप्त करे ?**	अदेय प्रणाम पत्र ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव द्वारा जारी किया जाता है I	नगर निगम के निर्वाचन के लिए अदेय प्रणाम पत्र अनिवार्य नहीं है ।	सदस्य नगर पंचायत या नगर पालिका के निर्वाचन के लिए अदेय प्रणाम पत्र अनिवार्य नहीं है ।
16	**क्या अदेय प्रणाम पत्र सभी निर्वाचनों के लिए अनिवार्य है ?**	पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचनों के लिए पंचायत सचिव द्वारा जारी अदेय प्रणाम पत्र होना आवश्यक है । परन्तु इस	नगर निगम के निर्वाचन के लिए अदेय प्रणाम पत्र अनिवार्य नहीं है ।	सदस्य नगर पंचायत या नगर पालिका के निर्वाचन के लिए अदेय प्रणाम पत्र अनिवार्य नहीं है ।

		बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि यदि किसी व्यक्ति ने पहले पंचायत समिति या जिला परिषद् का प्रतिनिधित्व किया हो तो ऐसी स्थिति में इस प्रणाम पत्र को सचिव, पंचायत समिति या सचिव , जिला परिषद् द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करवाना अनिवार्य होता है I		
17	**अनुबन्ध-1 शपथ पत्र/ घोषणा पत्र को कौन प्रतिहस्ताक्षरित कर सकता है?**	ग्राम पंचायत सदस्य , उप-प्रधान तथा प्रधान पद का चुनाव लड़ने के लिए अनुबन्ध-1 शपथ पत्र / घोषणा पत्र किसी भी राजपत्रित अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित करवाया जा सकता है जबकि पंचायत समिति सदस्य एवं जिला	पार्षद नगर निगम का चुनाव लड़ने के लिए अनुबन्ध -1 शपथ पत्र / घोषणा पत्र किसी दंडाधिकारी या शपथ आयुक्त से प्रतिहस्ताक्षरित करवाना अनिवार्य होता है I	सदस्य नगर पंचायत या नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए अनुबन्ध -1 शपथ पत्र / घोषणा पत्र किसी दंडाधिकारी या शपथ आयुक्त से प्रतिहस्ताक्षरित करवाना अनिवार्य होता है I

		परिषद् पद का चुनाव लड़ने के लिए इसे किसी दंडाधिकारी या शपथ आयुक्त से प्रतिहस्ताक्षरित करवाना अनिवार्य होता है I		
18	**क्या कोई व्यक्ति एक से अधिक पदों के लिए चुनाव लड़ सकता है ?**	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 123 अनुसार कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पदों के लिए चुनाव लड़ सकता है परन्तु एक से अधिक पदों पर चुनाव जीतने की स्थिति में चुनाव परिणाम घोषित होने के 15 दिनों के भीतर सम्बंधित उपायुक्त को जो विहित प्राधिकारी हैं , को सूचित करना होगा कि निर्वाचित व्यक्ति किस पद पर रहना चाहता है I	नगर निगम निर्वाचन में कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पदों के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है ।	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 के नियम धारा 53 अनुसार कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पदों के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है ।

19	**क्या कोई व्यक्ति जो जलवाहक, सेल्समेन cooperative सोसाइटी एवं मिड डे मील वर्कर है चुनाव लड़ सकता है ?**	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम , 1994 की धारा 122 (1) (छ) के अनुसार जो व्यक्ति किसी पंचायत या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सहकारी सोसायटी अथवा राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय या राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी पब्लिक सैक्टर उपक्रम के नियोजन या सेवा में है: **वह चुनाव नहीं लड़ सकता है । अत: उक्त तीनों श्रेणियां चुनाव लड़ने के अयोग्य है ।** स्पष्टीकरण:– इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए पद ''सेवा'' या ''नियोजन'' के अन्तर्गत पूर्णकालिक, अंशकालिक, दैनिक	हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम , 1994 की धारा 8(2) (ट) के अनुसार जो व्यक्ति किसी **नगर निगम** या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सहकारी सोसायटी अथवा राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय या राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी पब्लिक सैक्टर उपक्रम के नियोजन या सेवा में है: **वह चुनाव नहीं लड़ सकता है ।** **अत: उक्त तीनों श्रेणियां चुनाव लड़ने के अयोग्य है ।**	हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम , 1994 की धारा 16(1) (छ) के अनुसार जो व्यक्ति किसी **नगरपालिका** या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सहकारी सोसायटी अथवा राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय या राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी पब्लिक सैक्टर उपक्रम के नियोजन या सेवा में है: **वह चुनाव नहीं लड़ सकता है ।** **अत: उक्त तीनों श्रेणियां चुनाव लड़ने के अयोग्य है ।**

		या संविदा आधार पर नियुक्त किए गए या नियोजित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, परन्तु आकस्मिक या समयानुकूल (मौसमी) कार्यों के लिए रखा गया कोई भी व्यक्ति इसके अंर्तगत नही होगा।}		
20	**क्या कोई व्यक्ति जिसे लोक सेवा से हटाया गया हो चुनाव लड़ सकता है ?**	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम , 1994 की धारा 122 (1) (च) के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से लोक सेवा से हटाया गया हो तो ऐसा व्यक्ति चुनाव नही लड़ सकता है ।	हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम , 1994 की धारा 8(2) (झ) यदि किसी व्यक्ति को लोक सेवा से हटाया गया हो तो ऐसा व्यक्ति चुनाव नही लड़ सकता है ।	हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम , 1994 की धारा 16(1) (च) के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य कारणों से लोक सेवा से हटाया गया हो तो ऐसा व्यक्ति चुनाव नही लड़ सकता है ।
21	**स्थानीय निकायों का चुनाव लड़ने के लिए**	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम	हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन नियम, 2012 के नियम 38 (1)	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम , 2015 के नियम

	प्रतिभूति राशी कितनी है ?	37 अनुसार सभी पदों के लिए प्रतिभूति राशि **(Security Deposit)** निम्न प्रकार से है :- (क) पंचायत सदस्य = 100 रूपए सामान्य श्रेणी ; यदि प्रत्याशी महिला , अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बंधित है तो 50 रूपए (ख) उप-प्रधान, प्रधान एवं पंचायत समिति सदस्य = 150 रूपए सामान्य श्रेणी के लिए यदि प्रत्याशी महिला, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति /अन्य पिछड़ा वर्ग से	(ख) अनुसार प्रतिभूति राशि निम्न प्रकार से है :- सामान्य श्रेणी - 3000 रुपए; यदि प्रत्याशी महिला , अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति से सम्बंधित है तो - 2000 रुपए ।	39 (1) अनुसार प्रतिभूति राशि निम्न प्रकार से है :- सामान्य श्रेणी - 2500 रुपए; यदि प्रत्याशी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति से सम्बंधित है तो -1250 रुपए ।

		सम्बंधित है तो 75 रूपए । (ग) जिला परिषद् सदस्य = 200 रूपए सामान्य श्रेणी ; यदि प्रत्याशी महिला, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बंधित है तो 100 रूपए ।		
22	**स्थानीय निकायों में अनारक्षित पद पर यदि कोई महिला / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बंधित कोई व्यक्ति**	यदि कोई महिला / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति /अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बंधित कोई व्यक्ति अनारक्षित पद पर चुनाव लड़ती है / लड़ता है तो उसे उस पद तथा उस वर्ग के लिए निर्धारित प्रतिभूति राशी ही जमा करनी होगी तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन	यदि कोई महिला / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति से सम्बंधित कोई व्यक्ति अनारक्षित पद पर चुनाव लड़ती है/ लड़ता है तो उसे उस पद तथा उस वर्ग के लिए निर्धारित प्रतिभूति राशी ही जमा करनी होगी तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति से सम्बंधित विहित	यदि कोई अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति से सम्बंधित कोई व्यक्ति अनारक्षित पद पर चुनाव लड़ती है / लड़ता है तो उसे उस पद तथा उस वर्ग के लिए निर्धारित प्रतिभूति राशी ही जमा करनी होगी तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित

	चुनाव लड़ता है तो प्रतिभूति राशी कितनी है ?	जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बंधित विहित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रणाम पत्र की प्रतिलिपि भी देनी होगी ।	प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रणाम पत्र की प्रतिलिपि भी देनी होगी ।	जन जाति से सम्बंधित विहित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रणाम पत्र की प्रतिलिपि भी देनी होगी ।
23	**प्रतिभूति राशी को वापिस करना या जब्त करने बारे क्या प्रावधान है?**	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 81 अनुसार सभी पदों के लिए प्रतिभूति राशि वापिस या जब्त करने बारे निम्न प्रावधान है:- (क) यदि कोई प्रत्याशी आयोग द्वारा निर्धारित दिनांक व् समय को अपना नामांकन वापिस ले लेता है तो उसे प्रतिभूति राशि तुरंत वापिस की जाएगी । (ख) यदि किसी प्रत्याशी की	हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन नियम, 2012 के नियम 38 (2) (3) अनुसार प्रतिभूति राशि वापिस या जब्त करने बारे निम्न प्रावधान है:- (क) यदि कोई प्रत्याशी आयोग द्वारा निर्धारित दिनांक व् समय को अपना नामांकन वापिस ले लेता है तो उसे प्रतिभूति राशि तुरंत वापिस की जाएगी । (ख) यदि किसी प्रत्याशी की	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम , 2015 के नियम 39 (2) (3) अनुसार प्रतिभूति राशि वापिस या जब्त करने बारे निम्न प्रावधान है:- (क) यदि कोई प्रत्याशी आयोग द्वारा निर्धारित दिनांक व् समय को अपना नामांकन वापिस ले लेता है तो उसे प्रतिभूति राशि तुरंत

		मतदान से पूर्व मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में प्रतिभूति राशि उसके वारिस को वापिस की जाएगी I (ग) जो प्रत्याशी चुनाव में विजयी होगा उसे प्रतिभूति राशि वापिस की जाएगी I (घ) यदि किसी प्रत्याशी को कुल डाले गये वैध मतों का छटवां भाग प्राप्त नही होता है तो उस प्रत्याशी की प्रतिभूति राशि जब्त की जाएगी बाकि सभी प्रत्याशियों की प्रतिभूति राशि वापिस की जाएगी I	मतदान से पूर्व मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में प्रतिभूति राशि उसके वारिस को वापिस की जाएगी I (ग) जो प्रत्याशी चुनाव में विजयी होगा उसे प्रतिभूति राशि वापिस की जाएगी I (घ) यदि किसी प्रत्याशी को कुल डाले गये वैध मतों का छटवां भाग प्राप्त नही होता है तो उस प्रत्याशी की प्रतिभूति राशि जब्त की जाएगी बाकि सभी प्रत्याशियों की प्रतिभूति राशि वापिस की जाएगी I	वापिस की जाएगी । (ख) यदि किसी प्रत्याशी की मतदान से पूर्व मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में प्रतिभूति राशि उसके वारिस को वापिस की जाएगी I (ग) जो प्रत्याशी चुनाव में विजयी होगा उसे प्रतिभूति राशि वापिस की जाएगी I (घ) यदि किसी प्रत्याशी को कुल डाले गये वैध मतों का छटा भाग प्राप्त नही होता है तो उस प्रत्याशी की प्रतिभूति राशि जब्त की जाएगी बाकि सभी प्रत्याशियों की प्रतिभूति

				राशि वापिस की जाएगी I
24	**क्या स्थानीय निकायों के निर्वाचन लड़ने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गयी है ?**	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 व् हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में पंचायती राज संस्थाओ के निर्वाचन लड़ने के लिए कोई भी शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नही की गयी है ।	हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम , 1994 व् हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन नियम , 2012 में नगर निगम के निर्वाचन लड़ने के लिए कोई भी शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नही की गयी है ।	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 व् हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम , 2015 में नगरपालिका के निर्वाचन लड़ने के लिए कोई भी शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नही की गयी है ।
25	**यदि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी अभ्यर्थी का अयोग्यता सम्बन्धी प्रश्न पैदा होता है तो उसका निर्णय कौन लेगा ?**	यदि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी अभ्यर्थी का अयोग्यता सम्बन्धी प्रश्न पैदा होता है तो सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी इस सम्बन्ध में निर्णय लेगा और रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा ।	यदि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी अभ्यर्थी का अयोग्यता सम्बन्धी प्रश्न पैदा होता है तो सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी इस सम्बन्ध में निर्णय लेगा और रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा ।	यदि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी अभ्यर्थी का अयोग्यता सम्बन्धी प्रश्न पैदा होता है तो सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी इस सम्बन्ध में निर्णय लेगा और रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा ।

26	**निर्वाचन खर्चो की अधिकतम सीमा क्या है ?**	हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 92 अनुसार जिला परिषद् सदस्य के निर्वाचन के लिए निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 1.00 लाख रुपए है । पंचायत समिति सदस्य, प्रधान, उप-प्रधान एवं सदस्य के लिए अधिनियम व् नियम में निर्वाचन खर्चों की सीमा निर्धारित नही की गयी है ।	हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन नियम, 2012 के नियम 48 अनुसार पार्षद के निर्वाचन के लिए निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 1.00 लाख रुपए है ।	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम , 2015 के नियम 48 अनुसार सदस्य के निर्वाचन के लिए निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा निम्न प्रकार से है:- नगरपरिषद् के सदस्य के लिए:- 75000 नगर पंचायत के सदस्य के लिए :- 50000
27	**निर्वाचन व्यय कब से कब तक संधारित किया जाना अनिवार्य हैं ?**	किसी भी अभ्यर्थी द्वारा नामांकन पत्र दायर करने से लेकर परिणाम घोषित होने तक जो भी खर्चा किया जाता है उसे संधारित किया जाना चाहिए । इसमें नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए किए	किसी भी अभ्यर्थी द्वारा नामांकन पत्र दायर करने से लेकर परिणाम घोषित होने तक जो भी खर्चा किया जाता है उसे संधारित किया जाना चाहिए । इसमें नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए किए	किसी भी अभ्यर्थी द्वारा नामांकन पत्र दायर करने से लेकर परिणाम घोषित होने तक जो भी खर्चा किया जाता है उसे संधारित किया जाना चाहिए । इसमें नामांकन पत्र दाखिल करने के

		जाने वाला व्यय तथा परिणाम घोषित होने के दिनांक तक किया गया खर्चा भी सम्मिलित किया जाएगा ।	जाने वाला व्यय तथा परिणाम घोषित होने के दिनांक तक किया गया खर्चा भी सम्मिलित किया जाएगा ।	लिए किए जाने वाला व्यय तथा परिणाम घोषित होने के दिनांक तक किया गया खर्चा भी सम्मिलित किया जाएगा ।
28	**निर्वाचन खर्चो के ब्यौरे को किस दिनांक तक फाइल किया जाना अनिवार्य है तथा क्या इस के लिए कोई फॉर्म निर्धारित किया गया है ?**	हिमाचल प्रदेश पंचायत राज अधिनियम , 1994 की धारा 121ख अनुसार निर्वाचन का परिणाम घोषित होने के 30 दिन के भीतर प्ररूप 44, 45 व् 46 पर जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)-एवं-उपायुक्त के कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होता है ।	हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम , 1994 की धारा 13ख अनुसार निर्वाचन का परिणाम घोषित होने के 30 दिन के भीतर प्ररूप 29 व् 30 पर रिटर्निंग अधिकारी-एवं-उपायुक्त के कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होता है ।	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 17ख अनुसार निर्वाचन का परिणाम घोषित होने के 30 दिन के भीतर प्ररूप 28, 29 व् 30 पर रिटर्निंग अधिकारी - एवं-उप-मंडलाधिकारी (ना0) के कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होता है ।
29	**निर्वाचन खर्चो के ब्यौरे**	हिमाचल प्रदेश पंचायत राज	हिमाचल प्रदेश नगर निगम	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका

	को फाइल नही किए जाने या निर्धारित सीमा से अधिक राशी व्यय करने पर क्या कारवाई की जा सकती है?	अधिनियम, 1994 की धारा 180 (6क) अनुसार निर्वाचन खर्चो के लिए निर्धारित सीमा से अधिक राशी व्यय करना भ्रष्ट आचरण है तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा 122 (खख) अनुसार पंचायत पदाधिकारी चुने जाने या होने के लिए इसे अयोग्यता माना गया है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश पंचायत (पदाधिकारियों की अयोग्यता) नियम, 2015 के नियम 4 के अनुसार निर्वाचन खर्चो के ब्यौरे को फाइल नही किए जाने या निर्धारित सीमा से अधिक	अधिनियम, 1994 की धारा 21 (5क) अनुसार निर्वाचन खर्चो के लिए निर्धारित सीमा से अधिक राशी व्यय करना भ्रष्ट आचरण है तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा 8 (घघ) अनुसार पदाधिकारी चुने जाने या होने के लिए इसे अयोग्यता माना गया है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश नगर निगम (पदाधिकारियों की अयोग्यता) नियम, 2022 के नियम 4 के अनुसार निर्वाचन खर्चो के ब्यौरे को नही किए जाने या निर्धारित सीमा से अधिक राशी व्यय करने पर 5	अधिनियम, 1994 की धारा 301 (6क) अनुसार निर्वाचन खर्चो के लिए निर्धारित सीमा से अधिक राशी व्यय करना भ्रष्ट आचरण है तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा 16 (घघ) अनुसार पदाधिकारी चुने जाने या होने के लिए इसे अयोग्यता माना गया है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (पदाधिकारियों की अयोग्यता) नियम, 2001 के नियम 4 के अनुसार निर्वाचन खर्चो के ब्यौरे को फाइल नही किए जाने

		राशी व्यय करने पर 5 वर्षो के लिए अयोग्यता निर्धारित है ।	वर्षो के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है ।	या निर्धारित सीमा से अधिक राशी व्यय करने पर 5 वर्षो के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है ।
30	**स्थानीय निकायों का कार्यकाल क्या होता है ?**	हिमाचल प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 120 अनुसार पंचायत का कार्यकाल पंचायत की प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक रहता है यदि उपरोक्त अधिनियम की किसी धारा के अंतर्गत उस पंचायत को विघटित नहीं किया जाता है ।	हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम , 1994 की धारा 5 अनुसार नगर निगम का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक रहता है यदि उपरोक्त अधिनियम की किसी धारा के अंतर्गत उस नगर निगम को विघटित नहीं किया जाता है ।	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 14 अनुसार नगरपालिका का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक रहता है यदि उपरोक्त अधिनियम की किसी धारा के अंतर्गत उस नगरपालिका को विघटित नहीं किया जाता है ।
31	**क्या कोई सरकारी कर्मचारी किसी प्रत्याशी का प्रस्तावक हो सकता**	केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 5 (4) अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी प्रकार से	केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 5 (4) अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी प्रकार से	केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 5 (4) अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी

	है ?	चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता हैं ।	चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता हैं ।	किसी भी प्रकार से चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता हैं ।
32	**मतदान एजेंट के रूप में किस व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है ?**	हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 44 अनुसार कोई भी प्रत्याशी या उसका निर्वाचन एजेंट मतदान एजेंट के रूप में ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति कर सकते हैं जो उस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने की योग्यता रखता हो।	हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन नियम, 2012 के नियम 46 अनुसार कोई भी प्रत्याशी या उसका निर्वाचन एजेंट मतदान एजेंट के रूप में किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति कर सकते हैं ।	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम , 2015 के नियम 46 अनुसार कोई भी प्रत्याशी या उसका निर्वाचन एजेंट मतदान एजेंट के रूप में किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति कर सकते हैं ।
33	**क्या कोई सरकारी कर्मचारी किसी प्रत्याशी के निर्वाचन /मतदान /मतगणना एजेंट के रूप में कार्य कर सकता**	हिमाचल प्रदेश पंचायत राज अधिनियम , 1994 की धारा 158ड. के अनुसार यदि सरकारी सेवा का कोई व्यक्ति किसी प्रत्याशी के लिए निर्वाचन /मतदान /मतगणना एजेंट के रूप में कार्य करता है	हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम , 1994 की धारा 30च के अनुसार यदि सरकारी सेवा का कोई व्यक्ति किसी प्रत्याशी के लिए निर्वाचन /मतदान /मतगणना एजेंट के रूप में कार्य करता है	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 30ड के अनुसार यदि सरकारी सेवा का कोई व्यक्ति किसी प्रत्याशी के लिए निर्वाचन/मतदान /मतगणना एजेंट के

	है?	तो उस व्यक्ति को तीन माह तक की कारावास जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती है ।	तो उस व्यक्ति को तीन माह तक की कारावास जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती है ।	रूप में कार्य करता है तो उस व्यक्ति को तीन माह तक की कारावास जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती है ।
34	**मतगणना एजेंट के रूप में किस व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है?**	हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 45 अनुसार कोई भी प्रत्याशी या उसका निर्वाचन एजेंट, मतगणना एजेंट के रूप में ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति कर सकत है जो निर्वाचन लड़ने या मतदाता होने के लिए अयोग्य घोषित नही किया गया है ।	हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन नियम, 2012 के नियम 77(4) में मतगणना एजेंट की नियुक्ति का प्रावधान हैं ।	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम , 2015 के नियम 77(4) में मतगणना एजेंट की नियुक्ति का प्रावधान हैं ।
35	**क्या किसी प्रत्याशी द्वारा निर्वाचन एजेंट की नियुक्ति की जा सकती**	हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 43 अनुसार कोई भी प्रत्याशी जो निर्वाचन एजेंट की	हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन नियम, 2012 के नियम 45 अनुसार कोई भी प्रत्याशी जो निर्वाचन एजेंट की	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 के नियम 45 अनुसार कोई भी प्रत्याशी जो निर्वाचन

	है ?	नियुक्ति करना चाहता है तो वह प्रत्याशी नामांकन पत्र जमा करते समय या निर्वाचन से पूर्व अपने निर्वाचन एजेंट की नियुक्ति कर सकता है ।	नियुक्ति करना चाहता है तो वह प्रत्याशी नामांकन पत्र जमा करते समय या निर्वाचन से पूर्व अपने निर्वाचन एजेंट की नियुक्ति कर सकता है ।	एजेंट की नियुक्ति करना चाहता है तो वह प्रत्याशी नामांकन पत्र जमा करते समय या निर्वाचन से पूर्व अपने निर्वाचन एजेंट की नियुक्ति कर सकता है।
36	**यदि किसी प्रत्याशी की मृत्यु निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान हो जाती है तो क्या मतदान प्रक्रिया जारी रहेगी ?**	हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 48 अनुसार यदि किसी प्रत्याशी की मृत्यु निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान हो जाती है और इसकी सूचना मतदान आरम्भ होने से पूर्व प्राप्त हो जाती है तो ऐसी स्थिति में यदि प्रत्याशी एक से अधिक है , तो निर्वाचन प्रक्रिया जारी रहेगी परन्तु यदि एक ही प्रत्याशी	हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन नियम, 2012 के नियम 49 अनुसार यदि कोई प्रत्याशी जिसे किसी राजनितिक दल द्वारा नामित किया गया हो की मृत्यु निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान हो जाती है और इसकी सूचना मतदान आरम्भ होने से पूर्व प्राप्त हो जाती है तो ऐसी स्थिति में निर्वाचन प्रक्रिया जारी नहीं रहेगी तथा	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 के नियम 49 अनुसार यदि किसी प्रत्याशी की मृत्यु निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान हो जाती है और इसकी सूचना मतदान आरम्भ होने से पूर्व प्राप्त हो जाती है तो ऐसी स्थिति में यदि प्रत्याशी एक से अधिक है तो निर्वाचन प्रक्रिया जारी रहेगी परन्तु

		शेष रह जाए तो ऐसी स्थिति में मतदान नहीं होगा तथा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार मतदान प्रक्रिया नये रूप से आरम्भ की जाएगी ।	राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार मतदान प्रक्रिया नये रूप से आरम्भ की जाएगी ।	यदि एक ही प्रत्याशी शेष रह जाए तो ऐसी स्थिति में मतदान नहीं होगा तथा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार मतदान प्रक्रिया नये रूप से आरम्भ की जाएगी ।
37	**मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से कितने समय पहले सार्वजनिक सभाओं को आयोजित नहीं किया जा सकता हैं ?**	हिमाचल प्रदेश पंचायत राज अधिनियम , 1994 की धारा 158ख अनुसार मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभाओं के आयोजन एवं संबोधन पर प्रतिबन्ध होता है ।	हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम , 1994 की धारा 24(2) अनुसार मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभाओं के आयोजन एवं संबोधन पर प्रतिबन्ध होता है ।	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 304ख अनुसार मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभाओं के आयोजन एवं संबोधन पर प्रतिबन्ध होता है ।
38	**चुनाव याचिका दायर करने की अवधि क्या**	हिमाचल प्रदेश पंचायत राज अधिनियम , 1994 की धारा 163(1) अनुसार	हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम , 1994 की धारा 14(1) अनुसार	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा

	है?	चुनाव याचिका चुनाव परिणाम के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर दायर करनी होती है । परन्तु यदि कोई पदाधिकारी निर्वाचन लड़ने के लिए अयोग्य था तथा उसकी यह अयोग्यता उसके निर्वाचित होने के बाद भी रहती है तो ऐसी स्थिति में 30 दिन की समय अवधि लागु नही होती है ।	चुनाव याचिका चुनाव परिणाम के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर दायर करनी होती है ।	284(1) अनुसार चुनाव याचिका चुनाव परिणाम के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर दायर करनी होती है ।
39	**चुनाव याचिका किस अधिकारी के पास दर्ज करायी जा सकती है?**	हिमाचल प्रदेश पंचायत राज अधिनियम , 1994 की धारा 161 अनुसार चुनाव याचिका ग्राम पंचायत तथा पंचायत समिति के निर्वाचन के लिए सम्बंधित उप-मंडलाधिकारी (ना0) तथा जिला	हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम , 1994 की धारा 14(1) अनुसार चुनाव याचिका पार्षद के निर्वाचन के लिए मण्डलायुक्त के समक्ष दायर की जा सकती है ।	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 282 अनुसार चुनाव याचिका सदस्य नगर पालिका तथा सदस्य नगर पंचायत के निर्वाचन के लिए सम्बंधित उप -

		परिषद् के निर्वाचन के लिए जिला उपायुक्त के समक्ष दायर की जा सकती है ।		मंडलाधिकारी (ना0) के समक्ष दायर की जा सकती है ।
40	**चुनाव याचिका दायर करने के लिए कितनी प्रतिभूति राशी जमा करनी होती है?**	हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 95 अनुसार 300/- रूपए की राशी सरकारी खजाने (Government Treasury) या उप-खजाने में प्रतिभूति के रूप में जमा करनी होती है ।	हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन नियम, 2012 के नियम 90 अनुसार 3000/- रूपए की राशी सरकारी खजाने (Government Treasury) या उप -खजाने में प्रतिभूति के रूप में जमा करनी होती है ।	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 के नियम 95 अनुसार 2000/- रूपए की राशी सरकारी खजाने (Government Treasury) या उप -खजाने में प्रतिभूति के रूप में जमा करनी होती है ।
41	**चुनाव याचिका के विरुद्ध अपील दायर करने के लिए अपीलीय अधिकारी कौन है?**	हिमाचल प्रदेश पंचायत राज अधिनियम , 1994 की धारा 161 अनुसार अपील ग्राम पंचायत तथा पंचायत समिति के निर्वाचन के लिए उप -मंडलाधिकारी	हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन नियम, 2012 के नियम 94 अनुसार चुनाव याचिका के विरुद्ध अपील वित्त आयुक्त हिमाचल प्रदेश सरकार के समक्ष	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम , 2015 के नियम 99 अनुसार चुनाव याचिका के विरुद्ध अपील निदेशक शहरी विभाग के

		(ना0) के आदेश के विरुद्ध जिला उपायुक्त तथा जिला परिषद् के निर्वाचन के लिए जिला उपायुक्त के आदेश के विरुद्ध मण्डलायुक्त के समक्ष दायर की जा सकती है ।	दायर की जा सकती है ।	समक्ष दायर की जा सकती है ।
42	**चुनाव याचिका के विरुद्ध अपील दायर करने की अवधि क्या है?**	हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 99(1) अनुसार प्राधिकृत अधिकारी के आदेश पारित करने के 30 दिन के भीतर अपील दायर की जा सकती है	हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन नियम, 2012 के नियम 94(1) अनुसार प्राधिकृत अधिकारी के आदेश पारित करने के 30 दिन के भीतर अपील दायर की जा सकती है	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 के नियम 99(1) अनुसार प्राधिकृत अधिकारी के आदेश पारित करने के 30 दिन के भीतर अपील दायर की जा सकती है
43	**चुनाव याचिका के विरुद्ध अपील दायर करने के लिए कितनी**	हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 99(3) अनुसार 300/- रूपए की राशी सरकारी	हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन नियम, 2012 के नियम 94(3) अनुसार 3000/- रूपए की राशी	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम , 2015 के नियम 94(3) अनुसार 2500/- रूपए

	फीस जमा करनी होती है?	खजाने (Government Treasury) या उप -खजाने में फीस के रूप में जमा करनी होती है ।	सरकारी खजाने (Government Treasury) या उप -खजाने में फीस के रूप में जमा करनी होती है ।	की राशी सरकारी खजाने (Government Treasury) या उप-खजाने में फीस के रूप में जमा करनी होती है ।
44	**क्या किसी मतदाता की पहचान को चुनौती दी जा सकती है और ये चुनौती कौन दे सकता है तथा इसके लिए क्या कोई फीस जमा करनी होती है ?**	**जी हाँ ,** हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 58(1) अनुसार कोई प्रत्याशी , निर्वाचन एजेंट एवं मतदान एजेंट किसी भी मतदाता की पहचान को पीठासीन अधिकारी के समक्ष चुनौती दे सकता है । इस चुनौती के साथ 200/- रूपए की राशी पीठासीन अधिकारी के पास जमा करवानी होती है ।	**जी हाँ ,** हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन नियम , 2012 के नियम 71 अनुसार कोई प्रत्याशी , निर्वाचन एजेंट एवं मतदान एजेंट किसी भी मतदाता की पहचान को पीठासीन अधिकारी के समक्ष चुनौती दे सकता है । इस चुनौती के साथ 20/- रूपए की राशी पीठासीन अधिकारी के पास जमा करवानी होती है ।	**जी हाँ,** हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम , 2015 के नियम 71 अनुसार कोई प्रत्याशी , निर्वाचन एजेंट एवं मतदान एजेंट किसी भी मतदाता की पहचान को पीठासीन अधिकारी के समक्ष चुनौती दे सकता है । इस चुनौती के साथ 20/- रूपए की राशी पीठासीन अधिकारी के पास जमा करवानी होती है ।
45	**मतदाता की पहचान को**	हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचन)	हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन

	चुनौती फीस जमा करने की क्या प्रक्रिया है ?	नियम, 1994 के नियम 58(5) अनुसार यदि पीठासीन अधिकारी को लगता है कि चुनौती तुच्छ थी और सद्भावना पूर्वक नही की थी तो पीठासीन अधिकारी फीस को जब्त कर सकता है और इस राशी को राज्य सरकार के सपुर्द कर सकता है अन्यथा यह राशी चुनौती देने वाले को वापिस कर दी जाएगी।	नियम, 2012 के नियम 71(3) अनुसार यदि पीठासीन अधिकारी को लगता है कि चुनौती तुच्छ थी और सद्भावना पूर्वक नही की थी तो पीठासीन अधिकारी फीस को जब्त कर सकता है और इस राशी को राज्य सरकार के सपुर्द कर सकता है अन्यथा यह राशी चुनौती देने वाले को वापिस कर दी जाएगी।	नियम, 2015 के नियम 71(3) अनुसार यदि पीठासीन अधिकारी को लगता है कि चुनौती तुच्छ थी और सद्भावना पूर्वक नही की थी तो पीठासीन अधिकारी फीस को जब्त कर सकता है और इस राशी को राज्य सरकार के सपुर्द कर सकता है अन्यथा यह राशी चुनौती देने वाले को वापिस कर दी जाएगी ।
46	**पोल ड्यूटी मतपत्र किसे जारी किया जा सकता है ?**	हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 49-क अनुसार जो मतदाता उसी विकास खंड में चुनाव ड्यूटी देता है जंहा उसका नाम	हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन नियम, 2012 के नियम 63 अनुसार जो मतदाता चुनाव ड्यूटी दे रहा है और उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 के नियम 63 अनुसार जो मतदाता चुनाव ड्यूटी दे रहा है और उसका नाम मतदाता

		मतदाता सूची में दर्ज है तो ऐसा मतदाता पोल ड्यूटी मतपत्र के माध्यम से मतदान कर सकता है ।	ऐसा मतदाता पोल ड्यूटी मतपत्र के माध्यम से मतदान कर सकता है ।	सूची में दर्ज है तो ऐसा मतदाता पोल ड्यूटी मतपत्र के माध्यम से मतदान कर सकता है ।
47	**मतदाता, मतदान दल तथा मतदान एजेंट के अतिरिक्त कौन व्यक्ति पोलिंग स्टेशन में प्रवेश कर सकता है ?**	हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 55 अनुसार मतदाता, मतदान दल तथा मतदान एजेंट के अतिरिक्त निम्नलिखित व्यक्ति पोलिंग स्टेशन में प्रवेश कर सकते है:- (क) निर्वाचन अधिकारी (ख) कोई लोक सेवक जिसे निर्वाचन से सम्बंधित ड्यूटी के लिए रखा गया है (ग) राज्य निर्वाचन आयोग / जिला	हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन नियम, 2012 के नियम 61 अनुसार मतदाता, मतदान दल , उम्मीदवार तथा मतदान एजेंट के अतिरिक्त निम्नलिखित व्यक्ति पोलिंग स्टेशन में प्रवेश कर सकते है:- (क) निर्वाचन अधिकारी (ख) प्रत्याशी या उनके अभिकर्ता (ग) रिटर्निंग अधिकारी एवं उनके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति ।	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 के नियम 61 अनुसार मतदाता, मतदान दल , उम्मीदवार तथा मतदान एजेंट के अतिरिक्त निम्नलिखित व्यक्ति पोलिंग स्टेशन में प्रवेश कर सकते है:- (क) निर्वाचन अधिकारी (ख) प्रत्याशी या उनके अभिकर्ता (ग) रिटर्निंग अधिकारी एवं उनके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति ।

		निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति । (घ) प्रत्याशी, निर्वाचन अभिकर्ता तथा नियमानुसार प्रत्येक प्रत्याशी का एक मतदान अभिकर्ता । (ड.) मतदाता की गोद में शिशु (च) अंधे या शिथिलांग मतदाता के साथ कोई साथी (छ) रिटर्निंग अधिकारी या पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदाताओं की पहचान के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति ।	(घ) कोई लोक सेवक जिसे निर्वाचन से सम्बंधित ड्यूटी के लिए निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा रखा गया है (ड.) मतदाता की गोद में शिशु अंधे या शिथिलांग मतदाता के साथ कोई साथी (च) पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदाताओं की पहचान के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति । (छ) राज्य निर्वाचन आयुक्त एवं उनके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति	(घ) कोई लोक सेवक जिसे निर्वाचन से सम्बंधित ड्यूटी के लिए निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा रखा गया है (ड.) मतदाता की गोद में शिशु अंधे या शिथिलांग मतदाता के साथ कोई साथी (च) पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदाताओं की पहचान के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति । (छ) राज्य निर्वाचन आयुक्त एवं उनके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति
48	निविदत मत	हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचन)	हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका

	(Tendered Vote) किसे कहते है ?	नियम, 1994 के नियम 63 अनुसार यदि कोई व्यक्ति वास्तविक मतदाता होने का दावा करता है और उसके नाम से कोई व्यक्ति पहले ही मतदान कर चुका हो तो ऐसे वास्तविक मतदाता को जो मतपत्र जारी किया जाता है उसे निविदत मत कहते है	नियम, 2012 के नियम 70 अनुसार यदि कोई व्यक्ति वास्तविक मतदाता होने का दावा करता है और उसके नाम से कोई व्यक्ति पहले ही मतदान कर चुका हो तो ऐसे वास्तविक मतदाता को जो मतपत्र जारी किया जाता है उसे निविदत मत कहते है	निर्वाचन नियम , 2015 के नियम 70 अनुसार यदि कोई व्यक्ति वास्तविक मतदाता होने का दावा करता है और उसके नाम से कोई व्यक्ति पहले ही मतदान कर चुका हो तो ऐसे वास्तविक मतदाता को जो मतपत्र जारी किया जाता है उसे निविदत मत कहते है ।
49	**क्या निविदत मत को बैलट बॉक्स में डाला जाता है या नहीं ?**	निविदत मतपत्र को बैलट बॉक्स में नहीं डाला जाता है । इसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित लिफाफे में सीलबंद कर दिया जाता है ।	निविदत मतपत्र को बैलट बॉक्स में नहीं डाला जाता है । इसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित लिफाफे में सीलबंद कर दिया जाता है ।	निविदत मतपत्र को बैलट बॉक्स में नहीं डाला जाता है । इसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित लिफाफे में सीलबंद कर दिया जाता है ।
50	**क्या निविदत मत की**	निविदत मतपत्र की गणना नहीं की जाती	निविदत मतपत्र की गणना नहीं की जाती	निविदत मतपत्र की गणना नहीं की

	गणना की जाती है नहीं ?	है ।	है ।	जाती है ।